संख्या- 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002

प्रेषक,

आर0 रमणी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

2- कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई, 2003

विषयः- राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-317/93 टी0एम0ए0 पाई फाउण्डेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य में दिनांक 31-10-2002 को पारित निर्णय में शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया, तर्कसंगत शुल्क निर्धारण करने तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में व्यापक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97-2(85)/97, दिनांक 11 नवम्बर 1997 के प्रस्तर-11 (अ) के उप प्रस्तर-4 और 5 तथा प्रस्तर-1 (ब) के उप प्रस्तर-12 क तथा ग में वर्णित तीन तरह की सीटों-नार्मल सीट, सेल्फ सर्वोटिंग सीट तथा एन0आर0आई0/एन0आर0आई0, स्पांसर्ड सीटों का वर्गीकरण, प्रत्येक वर्ग हेतु सीटों का निर्धारित प्रतिशत तथा उक्त सीटों के लिए निर्धारित अधिकतम शुल्क की दरों के विनिश्चय सम्बन्धी आदेशों की शासनादेश संख्या-2256/सत्तर-2-2003-2(85)/97, दिनांक 27 मई, 2003 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक् द्वारास सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शैक्षिक संस्थाओं-स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया तथ तर्कसंगत शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत सभी प्रर्वदिशों को अवक्रमित करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित सभी छात्रों से समान रूप से एक शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ उक्त संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया तथा तर्कसंगत शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में भी शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गयें हैः-

I. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से इतर संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" तथा ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र से बाहर आने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी से सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से 85 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2003-04 से प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष 15 प्रतिशत सीटों पर छात्रों का प्रवेश निजी प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित पारदर्शी तथा तर्क संगत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा और किसी भी दशा में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

II. अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 तथा ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र से बाहर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से सिंगल विन्डो सिस्टम द्वारा छात्रों को शिक्षण सत्र 2003-04 से प्रवेश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत सीटों पर छात्रों का प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रबन्धकों द्वारा किया जायेगा और किसी भी दशा में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

III. अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क सीमा रू0 19,000/- प्रतिवर्ष छात्र तथा ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र से बाहर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क सीमा रू0 13,000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष निर्धारित करने का परामर्श दिया जाता है। उक्त सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से सिंगल विन्डों सिस्टम से प्रविष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं मेधावी छात्रों को अधिकतम निर्धारित शुल्क सीमा में रू0 5,000/- तक की छूट सम्बन्धित शैक्षिक संस्था द्वारा प्रदान की जा सकती है।

IV. स्नातक स्तर पर सामान्य शिक्षा यथा बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क सीमा रू0 5,000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष पूर्ववत् रखा जाय एवं स्नोतकोत्तर स्तर के सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों यथा एम0एस0सी0 एम0कॉम0 के लिए शुल्क सीमा रू0 6,000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष रखा जाय।

III. उल्लिखित प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-III तथा IV में निर्धारित शुल्क सीमा केवल सम्बद्व/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों पर हो लागू होगी।

IV. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त शिक्षण संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता/अवस्थापना सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव डाले बिना शासन द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा या शासन द्वारा प्रस्तावित छूट की सीमा से कम शुल्क विद्यार्थियों से प्राप्त कर पाठ्यक्रम संचालित करना चाहती हैं। तो ये इसके लिए निर्णय ले सकती है किन्तु प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित सभी छात्रों से समान रूप से एक ही शुल्क लिया जायेगा। तर्कसंगत शुल्क हेतु उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित सीमा से कोई शिक्षण संस्था किसी पाठ्यक्रम विशेष में यदि अधिक शुल्क प्राप्त करना चाहती हैं। तो वे शासन को पूरे औचित्य एवं सुसंगत अभिलेखों सहित अपना प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत करेंगी तथा शासन के अन्तिम निर्णय एवं अनुमति के उपरान्त किसी पाठयक्रम विशेष में शासन द्वारा निर्धारित की गयी शुल्क सीमा से अधिक शुल्क प्राप्त कर सकेंगी।

v. उक्त शिक्षण संस्थाओं से किसी पाठ्यक्रमों विशेष में अधिक शुल्क प्राप्त करने विषयक प्रस्ताव पर निन्नलिखित समिति सम्यक् विचारोपरान्त संस्तुति प्रस्तुत करेंगीः-

i. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

ii. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

iii. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

iv. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

शासन द्वारा उक्त संस्थाओं के प्रस्ताव पर उक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

6. प्रत्येक स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था पाठ्यक्रमों के संचालन का आय-व्ययक का लेखा-जोखा रखेगी एवं उसे प्रत्येक वर्ष शासन से उपलब्ध करायेगी।

उपयुक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे वह कहने का निदेश हुआ हैं कि कृपया अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली सभी सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में इस शासनादेश में उपरोक्तानुसार प्राविधानित व्यवस्था को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0 रमणी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2851(1)/ सत्तर-2-2003 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

i. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

ii. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

iii. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

iv. सचिव, कृषि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदश शासन।

v. निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।

vi. उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

(बी0डी0 जोशी)
संयुक्त सचिव।